## बिहार सरकार,
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
## अधिसूचना

E. Mail

जी0एस0आर0————————पटना, दिनांक–

सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान एवं चावल की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है ।

2. खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत धान एवं चावल की अधिप्रप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है एवं बिहार राज्य खाद्य निगम तथा पैक्स को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है । बिहार राज्य खाद्य निगम, प्रत्येक प्रखंड में अपने क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति करेगा । प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) द्वारा किसानों से धान का क्रय कर बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से अधिप्राप्ति का कार्य सम्पादित किया जायेगा । बिहार राज्य खाद्य निगम, पैक्सों द्वारा खरीदे गये धान एवं अपने क्रय केन्द्रों पर किसानों से खरीदे गये धान का CMR (Custom Milled Rice) भारतीय खाद्य निगम को सुपूर्द करेगा ।

3. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र सं0 4(2)/2011 पी0वाई0 –I दिनांक–23.07.2012 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत धान के साधारण एवं ग्रेड 'ए' का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :–

(रूपये प्रति क्वींटल)

| | | |
|---|---|---|
| **धान** | **साधारण** | **1250.00** |
| | **ग्रेड 'ए'** | **1280.00** |

खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत कस्टम मिल राईस (CMR) का दर भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रभावी होगा ।

4. खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत **धान** अधिप्राप्ति कार्यक्रम क्रमशः **दिनांक–15.11.12 से 15.04.13 तक** के लिए तथा **सी0एम0आर0** की अधिप्राप्ति दिनांक **15.11.12 से 31.10.13 तक** के लिए प्रभावी होगा ।

5. यह अधिसूचना खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत दिनांक–31.10.13 तक के लिए प्रभावी होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जयशंकर प्रसाद यादव)

सरकार के अपर सचिव ।

D:\2012\Sec_4\KMS_12-13\KMS-12-13.doc

**Government of Bihar**
**Food & Consumer Protection Department.**

## NOTIFICATION

G.S.R..................................Patna, dated.................................

WHEREAS the Government is of the opinion that for ensuring the MSP to farmers and for securing the availability and supply of Paddy & Rice in the State it is necessary and expedient to establish procurement centres.

2. Bihar State Food Corporation is designated as the Nodal Agency for the procurement of Paddy and Rice for Kharif Marketing Season 2012-13 and Bihar State Food Corporation and Primary Agriculture credit Societies (PACS) are authorized as procuring agencies for the procurement of Paddy during Kharif Marketing season 2012-13. Bihar State Food Corporation will procure Paddy through its purchase centres in each block of the State. Primary Agriculture credit Societies (PACS) shall also purchase Paddy from farmer and perform the procurement exercise through Bihar State Food Corporation. Bihar State Food Corporation will deliver the CMR (Custom Milled Rice) of Paddy Purchased from PACS and Paddy Purchased from farmers at its own Purchase Centers to the Food Corporation of India.

3. The Minimum Support Price of the Paddy has been fixed up **Rs. 1250.00 per quintal for common** and **Rs. 1280.00 per quintal for Grade-A** under Kharif Marketing Season 2012-13 as per letter no. 4(2)/2011 - PY. - I dated 23.07.2012 of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Food & Public Distribution Department) Government of India, New Delhi.

The rates of Custom Milled Rice during Kharif Marketing Season 2012-13 will be effective as per fixation by the Government of India.

4. **Paddy** procurement programme during Kharif Maraketing Season 2012-13 will be effective **form 15.11.2012 to 15.04.2013** and Custom Mill Rice (**CMR**) procurement programme will be effective **from 15.11.12 to 31.10.13.**

5. This notification shall remain effective till 31.10.13 for Kharif Marketing Season 2012-13.

By the Order of Governor of Bihar.

Additional Secretary to the Govt.

D:\2012\Sec_4\KMS_12-13\KMS-12-13.doc

ज्ञापांक– प्र04/ख.वि.अधि.–01/12–7094/खाद्य,, पटना–15, दिनांक–7/11/2012
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना–7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियॉ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :– दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

7/11/12

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04/ख.वि.अधि.–01/12–7094 /खाद्य,, पटना–15, दिनांक–7/11/2012

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/11/12

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04/ख.वि.अधि.–01/12–7094 /खाद्य,, पटना–15, दिनांक–7/11/2012

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

7/11/12

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04/ख.वि.अधि.–01/12–7094/खाद्य,, पटना–15, दिनांक–7/11/2012

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु/सूचना पट, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

7/11/12

.सरकार के अपर सचिव ।